

HJS Bench-1 Link-1	HJS Bench-2 Link-2	HJS Bench-3 Link-3	HJS Bench-4 Link-4	HJS Bench-5 Link-5	HJS Bench-6 Link-6
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

To be filled by competent authority

विशेष ई-लोक अदालत

प्रारूप क्रमांक 5

न्यायालय - न्यायिक दण्डाधिकारी _____ (छ.ग.)

	राज्य/प्रतिवादी
विरुद्ध	
	अभियुक्त /अभियुक्तगण

आपराधिक प्रकरण क्रमांक

-: शमनीय अपराध के शमन हेतु आवेदन :-

1. यह कि इस प्रकरण में अभियोगी तथा अभियुक्त एक ही गांव के हैं, अतः उन्होंने शांति एवं सद्भावनापूर्वक मेल-जोल बनाए रखने के लिए इस प्रकरण में राजी-खुशी से समझौता कर लिया है ।
2. यह कि अभियुक्त पर लगाया गया आरो न्यायालय की बिना अनुमति से आवेदन व्दारा शमन होने योग्य है । आवेदकगण समझौता करने में सक्षम हैं तथा दोनों में स्वेच्छा से अपराध को शमित करने का निश्चय किया है ।
3. यह कि हम पक्षकारण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं ।

अतः निवेदन है कि उभयपक्ष के बीच इस प्रकरण में समझौता हो जाने के कारण अब इस प्रकरण में अपराध को शमित कर अभियुक्त /अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे ।

हस्ताक्षर अभियुक्त/ अभियुक्तगण	हस्ताक्षर आवेदक/ परिवादी
अधिवक्ता वास्ते - अभियुक्त/ अभियुक्तगण	अधिवक्ता वास्ते आवेदक/ परिवादी

प्रार्थी /प्रार्थिया का मोबाईल नं.

प्रार्थी /प्रार्थिया के अधिवक्ता का मो. नं. एवं ई-मेल आई.डी.

आरोपी का मोबाईल नं.

आरोपी के अधिवक्ता का मो. नं. एवं ई-मेल आई.डी.

स्थान
दिनांक

टीप: विशेष ई लोक अदालत में जुडने हेतु लिंक की जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाईट से, अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस से अथवा जिले में पदस्थ टेक्निकल स्टॉफ से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में विशेष ई-लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों के पक्षकारण एवं अधिवक्तागण का वाट्स-अप ग्रुप बनाकर भी उसमें लिंक की जानकारी प्रेषित की जा सकती है।

HJS Bench-1 Link-1	HJS Bench-2 Link-2	HJS Bench-3 Link-3	LJS Bench-4 Link-4	LJS Bench-5 Link-5	LJS Bench-6 Link-6
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

To be filled by competent authority

विशेष ई-लोक अदालत

प्रारूप क्रमांक 6

न्यायालय - न्यायिक दण्डाधिकारी _____ (छ.ग.)

	राज्य/प्रतिवादी
विरुद्ध	
	अभियुक्त /अभियुक्तगण

आपराधिक प्रकरण क्रमांक

-:धारा 320 (2) द.प्र.सं. के अंतर्गत अपराध के शमन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र :-

उपर्युक्त परिवादी निम्नानुसार आवेदन करता है कि -

1. यह कि इस प्रकरण में अभियुक्त/ गण से अपने संबंध मधुर बनाये रखने के लिए इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध का शमन करना चाहता हूँ ।
2. आज लोक अदालत के सुलहकर्तों ने उभयपक्षकारों को सुनकर दोनों पक्षों के बीच भविष्य में अच्छे संबंध पुनः स्थापित किये जाने हेतु अपराध का शमन करने की सलाह दी है, जिससे उभय पक्षकार सहमत हो चुके हैं। बिना किसी दबाव के पक्षकारों के बीच कोई व्देष या मनमुटाव नहीं रह गया है ।
3. यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हूँ ।

चूंकि अपराधों में न्यायालय की अनुमति बिना अपराध का शमन नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थना है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध के शमन की अनुमति पक्षकारों को प्रदान की जावे ।

हस्ताक्षर अभियुक्त/ अभियुक्तगण	हस्ताक्षर आवेदक/ परिवादी
अधिवक्ता वास्ते - अभियुक्त/ अभियुक्तगण	अधिवक्ता वास्ते आवेदक/ परिवादी

प्रार्थी /प्रार्थिया का मोबाईल नं.

प्रार्थी /प्रार्थिया के अधिवक्ता का मो. नं. एवं ई-मेल आई.डी.

आरोपी का मोबाईल नं.

आरोपी के अधिवक्ता का मो. नं. एवं ई-मेल आई.डी.

स्थान

दिनांक

टीप: विशेष ई लोक अदालत में जुडने हेतु लिंक की जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाईट से, अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस से अथवा जिले में पदस्थ टेविनकल स्टॉफ से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में विशेष ई-लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों के पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण का वाट्स-अप ग्रुप बनाकर भी उसमें लिंक की जानकारी प्रेषित की जा सकती है।